संख्या–26 /2026/I/1425009/2026 /001-77-3002-003-24-2023-83–AV

प्रेषक,

निर्मेष कुमार शुक्ल,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
यूपीडा, पिकप भवन,
गोमती नगर लखनऊ।

अवस्थापना विकास अनुभाग लखनऊ : दिनांक 07.08.2026

विषय:– वित्तीय वर्ष 2026-27 में डिफेन्स इण्डस्ट्रियल कारीडोर चित्रकूट नोड की बाउण्ड्रीवाल के निर्माण कार्य हेतु धनराशि की मांग।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा के पत्रांक 541/यूपीडा/डिफे0कॉरि0/लेखा दिनांक 11.06.2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा डिफेन्स इण्डस्ट्रियल कारीडोर चित्रकूट नोड की बाउण्ड्रीवाल के निर्माण कार्य हेतु द्वितीय किश्त की मांग की गयी है।

2. अवगत कराना है कि यूपीडा के पत्र दिनांक 18.05.2026 द्वारा डिफेन्स इण्डस्ट्रियल कारीडोर चित्रकूट नोड की बाउण्ड्रीवाल के निर्माण कार्य को पुनरीक्षित कराये जाने का अनुरोध किया गया जिसके क्रम में प्रयोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा उक्त कार्य की पुनरीक्षित लागत रू0 1529.59 लाख अनुमोदित की गयी। अत: इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में डिफेन्स इण्डस्ट्रियल कारीडोर चित्रकूट नोड की बाउण्ड्रीवाल के निर्माण कार्य हेतु पी0एफ0ए0डी0 द्वारा आंकलित पुनरीक्षित लागत रू0 1529.59 लाख की प्रशासकीय एवं लागत के सापेक्ष द्वितीय किश्त के रूप में रू0 508.18 लाख (रुपये पाँच करोड़ आठ लाख अठारह हजार मात्र) निम्नलिखित विवरणानुसार तथा शर्तो/प्रतिबन्धों सहित अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

(धनराशि रूपये लाख में)

जनपद	कार्य का नाम	स्वीकृत पुनरीक्षित लागत	प्रथम किश्त की धनराशि	द्वितीय किश्त की धनराशि
चित्रकूट	डिफेन्स इण्डस्ट्रियल कारिडोर, चित्रकूट नोड की बाउण्ड्रीवाल के निर्माण का कार्य	1529.59	508.17	508.18

(1) धनराशि का आहरण तात्कालिक आवश्यकता के अनुसार किया जाएगा।

(2) स्वीकृति धनराशि व्यय किये जाने के पूर्व वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग– 1 के कार्यालय–ज्ञाप दिनांक 28 मार्च, 2026 तथा अन्य संगत शासनादेशों द्वारा जारी दिशा–निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जायेगा जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

(4) प्रशासकीय विभाग उक्त परियोजना एवं वित्तीय स्वीकृति पर सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त कर लेंगे।

(5) किसी भी वित्तीय अनिमियतता के लिए प्रशासकीय विभाग उत्तरदायी होंगे।

(6) आहरित धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण–पत्र यथासमय शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(7) मूल स्वीकृति हेतु शासनादेश दिनांक 04.01.2024 की शर्तें यथावत रहेगी।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 5,08,18,000 (रुपये पाँच करोड़ आठ लाख अठारह हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 007 लेखा शीर्षक 5054033370800 बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे के साथ डिफेन्स कॉरीडोर परियोजना मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक- 28-मार्च, 2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(निर्मेष कुमार शुक्ल),
संयुक्त सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव, मा0 विभागीय मंत्रीजी, अवस्थापना विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज/लखनऊ।
3. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
4. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन लखनऊ।
6. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
7. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उ०प्र० शासन ।
8. वित्त नियंत्रक, यूपीडा लखनऊ।
9. वित्त (ई-6) अनुभाग-6/औद्योगिक विकास अनुभाग-2
10. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
11. नोडल बजट एलाटमेन्ट सिस्टम।
12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(निर्मेष कुमार शुक्ल),
संयुक्त सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in